



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्जवल", महारानी बाग, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक: 20 / यूजेवीएनलि / नि0(एच0आर0) / कैम्प

दिनांक: 21/01/2017

समस्त अधिशासी निदेशक /
समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / कम्पनी सचिव
यूजेवीएन लिमिटेड।

विषय:- प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।


यूजेवीएन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)(वि0/यां0)/(सिविल) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)(वि0/यां0)/(सिविल) की हॉल ही में भर्ती की गयी है। उक्त कार्मिकों की वृहद ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी है। प्रशिक्षण की उपयुक्तता एवं महत्ता के दृष्टिगत निगम का यह प्रयास है कि विशेष तकनीकी/विशेषज्ञता को छोड़कर बाकी ट्रेनिंग कार्यक्रम निगम में कार्यरत अधिकारियों के माध्यम से ही कराये जाये।

अतः निगम में कार्यरत उन सभी अधिकारियों को जो कि प्रशिक्षण देने के इच्छुक हो अथवा इस क्षेत्र में रुचि रखते हो, वर्तमान में चल रहे अथवा भविष्य के प्रशिक्षणों के लिए संलग्न प्रपत्र पर अपना नामांकन दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, यमुना भवन, देहरादून को प्रेषित करे। उक्त नामांकन हेतु सूचना e-mail-"rajendra.singh@ujvnl.com" के द्वारा भी भेजी जा सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान यह भी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित अधिकारी दिए जाने वाले प्रशिक्षण की पीपीटी (सॉफ्ट कापी के माध्यम से) प्रशिक्षण संयोजक/मानव संसाधन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु मानदेय कार्यालय ज्ञापन सं0 8605/यूजेवीएनलि/05/एचआरडी दिनांक 19-12-16 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार देय होगा।

संलग्नक:- यथोपरि।


(डॉ0 अविनाश चन्द्र जोशी)
निदेशक (मा0सं0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड।
2. निदेशक (परिचालन)/ (परियोजनायें)/ (वित्त), यूजेवीएन लिमिटेड।
3. उपमहाप्रबन्धक(आई0टी0)-निगम की Website पर अपलोड करने हेतु।

ABEER
Pl. upload on website

31/1/17
SJC(17)
अप्र 17

W.No. 59 / DGM(L.I.)
File Mark. N-2
Dated 31/1/17



यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited

Proforma Nomination of Training

Name _____

Designation _____ FB No: _____

Deptt. _____

Qualification (Diploma/Degree/Onwards) _____

Area of Interest/Topic for presentation

Sl.No.	Topic/Subject	Required Duration /Session (In Multiples of 1.5 hrs. Session)

Remarks: _____

Signature of Officer _____

Forwarding by concerned GM/DGM

Signature _____
(With Stamp/Seal)



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

21/12/16

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून - 248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)

दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फ़ैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U49101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक: 8605 / यूजेवीएनलि / 05 / एचआरडी

दिनांक: 19 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निगम के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9405/उजविनिलि/एचआर/जी-20, दिनांक 06-12-2005 के द्वारा प्रशिक्षण (In-house) में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित/नामित व्याख्यानकर्ताओं/वक्ताओं/अतिथि प्रशिक्षकों को अनुमन्य मानदेय की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं:-

क्र०सं०	प्रशिक्षक का स्तर	मानदेय की दरें (प्रति सत्र 60-90 मिनट)	
		अतिथि प्रशिक्षकों हेतु	निगमीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु
01	अवर अभियन्ता/लेखाकार एवं उससे निचले स्तर के कर्मचारी	रु० 600.00	रु० 400.00
02	असिस्टेंट प्रोफेसर/प्रवक्ता, सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक एवं समकक्ष अधिकारी	रु० 1000.00	रु० 600.00
03	एसोसियेट प्रोफेसर्स, रीडर्स, उपमहाप्रबन्धक एवं समकक्ष अधिकारी	रु० 1600.00	रु० 800.00
04	प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रोफेसर्स, विभिन्न सरकारी, पीएसयू एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ सलाहकार, महाप्रबन्धक एवं उच्च स्तर के अधिकारी	रु० 2000.00	रु० 1000.00

- 2- निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रशिक्षक तौर पर आमन्त्रित किये जाने पर अतिथि प्रशिक्षकों हेतु अनुमन्य मानदेय की दरें देय होगी। प्रशिक्षण सत्र की अवधि कम या अधिक होने पर समानुपातिक आधार पर मानदेय की गणना की जा सकेगी। किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मानदेय रु० 30,000/- तक अनुमन्य होगा।
- 3- यदि कोई प्रशिक्षक मानदेय स्वीकार नहीं करता है तो उसके स्थान पर कोई उपहार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से प्रदान किया जायेगा जो कि मानदेय की अनुमन्य धनराशि से अधिक नहीं होगा।
- 4- निगम के बाहर के आमन्त्रित विशेषज्ञों को उनके स्तर को देखते हुए वाहन, खाने एवं ठहरने की सुविधा अनुमन्य होगी।

क्रमशः.....2

